न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम अनूपगढ़ जिला–अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री अजीत कुमार गोदारा (आरएएस)

प्रकरण सं.–10 / 2024

जी.सी.एम.एस.नं.–2024 / 138

प्रेम कुमार पुत्र सुन्दर लाल जाति ब्राह्मण निवासी चक–21 एसजेएम तहसील व जिला अनूपगढ़ (राज.) ....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ जिला–अनूपगढ़ (राज.)

......अप्रार्थी

प्रार्थना –पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक:–06.08.2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि वाके तहसील अनूपगढ़ के चक नं. 21 एस जे एम का पत्थर नं. 304 / 378, मु.न. 29 के किला नं. 1 से 5 का कुल 1.265 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी रकबा प्रार्थी का है। उक्त वर्णित कृषि भूमि को इस प्रकरण में आयन्दा वादाधीन कृषि भूमि कहा जावेगा। वादाधीन कृषि भूमि की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 की प्रमाणित प्रति सलग्न है। वादाधीन कृषि भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त, उपयोग, उपभोग व अधिपत्य में है। प्रार्थी का सही, वास्तविक व दस्तावेजों में नाम प्रेमचन्द पुत्र सुन्दरलाल है लेकिन प्रार्थी को घर–परिवार, रिश्तेदार, आस–पड़ौस में घरेलू नाम प्रेमचन्द के नाम से जाना व पुकारा जाता है। प्रार्थी के दस्तावेजात राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, भामाशाह कार्ड, वोटर कार्ड, जन आधार कार्ड आधार कार्ड आदि में सही व वास्तविक नाम प्रेम कुमार है। जिनकी फोटो प्रतियाँ सलंग्न है। वादाधीन कृषि भूमि प्रार्थी को वसीयत से प्राप्त हुई है। वसीयत में प्राथी का घरेलू नाम प्रेमचन्द पुत्र सुन्दर अंकित कर दिया गया था जिस कारण नामान्तरण करते समय राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का घरेलू नाम व वल्दियत प्रेमचन्द पुत्र सुन्दर अंकित कर दिया गया है जबकि प्रार्थी का सही नाम व वल्दियत प्रेम कुमार पुत्र सुन्दर लाल है। वादाधीन कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड एवं प्रार्थी के सभी दस्तावेजात में प्रार्थी व उसके पिता के नाम की भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा प्रार्थी अपनी कृषि भूमि का समुचित व पूर्ण उपयोग उपभोग, रहन, बैय, अन्तरण, वसीयत, टीनेन्सी आदि [illegible] उपयोग, उपभोग आदि नहीं कर पा रही है और ना ही प्रार्थी को उक्त कृषि [illegible] सरकारी या सहकारी सहायता, ऋण, सब्सिडी, खाद, बीज आदि प्राप्त हो रहा है। प्रार्थी [illegible] परिवेश का है प्रार्थी ने गत सप्ताह अप्रार्थी श्रीमान् तहसीलदार साहब के समक्ष उपस्थित होकर उन्हें उक्त समस्त तथ्यों व दस्तावेजों से अवगत करवा कर प्रार्थी व उसके [illegible] का नाम दुरूस्त कर सही व वास्तविक नाम अंकित करने का निवेदन किया तो उन्होंने ऐसा करने से स्पष्ट इंकार कर दिया तथा माननीय न्यायालय से दुरूस्ती का आदेश लाने का कहा। इसलिए प्रार्थना–पत्र पेश है। यह कि प्रार्थी व उसके पिता के नाम की दुरूस्ती की जाकर प्रार्थी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajeet Kumar Godara
Date: 2024.09.09 14:09:35 IST
Reason: SelfAttested

(अजीत कुमार गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

उसके पिता का सही, वास्तविक व दस्तावेजों में दर्ज नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक हे तथा प्रार्थी अपना नाम दुरूस्त करवाने का मुश्तहक है ताकि प्रार्थी उक्त कृषि का पूर्णः व समुचित उपयोग, उपभोग कर सके तथा सरकारी सहायता, ऋण आदि प्राप्त कर सके। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मुश्तरका खाता की वादाधीन कृषि भूमि वाके तहसील अनूपगढ़ के चक नं. 21 एस जे एम का पत्थर नं. 304 / 378, मु. न. 29 के किला नं. 1 से 5 का कुल 1.265 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी रकबा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दुरूस्ती की जाकर प्रार्थी नाम व वल्दियत प्रेमचन्द पुत्र सुन्दर के स्थान पर प्रेम कुमार पुत्र सुन्दर लाल अंकित किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी की और से राजपेरौकार तहसीलदार अनूपगढ़ उपस्थित आये। अप्रार्थी की ओर राज पैरोकार द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि चक– 21 एसजेएम पत्थर नं0 304/378 जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 खाता संख्या नया 85 पुराना खाता सं.–39 अनुसार प्रेमचन्द पुत्र सुन्दर का किला नं0 1 ता 5 का 1.265 हैक्टर कमाण्ड रकबा खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान कथित अभिवचनों एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। तहसीलदार (भू0अ0) अनूपगढ़ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट कमाकः–भू.अ./2024/2380 दिनांक–22 जूलाई 2024 के आधार पर प्रार्थी का नाम प्रेमचन्द पुत्र सुन्दर जाति ब्राहमण के स्थान पर प्रेमकुमार पुत्र सुन्दर लाल जाति ब्राहमण दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी विरूद अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर खातेदारी खाता की कृषि भूमि वाके चक–21 एसजेएम तहसील अनूपगढ़ का नया खाता सं.–85 पुराना खाता सं.–39 का मुरब्बा नं–29 पत्थर सं.–304/378 का किला नम्बर 1 ता 5 का कुल भूमि 1.265 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में **प्रार्थी का नाम प्रेमचन्द पुत्र सुन्दर जाति ब्राह्मण के स्थान पर प्रेम कुमार पुत्र सुन्दर लाल जाति ब्राहम्ण का अंकन किया जावें।** अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ को उक्त आदेश को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **06.08.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ajeet Kumar Godara
Date: 2024.09.09 14:09:35 IST
Reason: SelfAttested

(अजीत कुमार गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़